

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 14.5.2022

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 466

मुकदमा नंबर 84 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
1. मदनसिंह पुत्र मोहनसिंह 2. हंसराज पुत्र मोहनसिंह 3. महावीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 4. ध्रुवसिंह पुत्र उम्मेदसिंह प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता सुकाकंवर 5. सुकाकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जातियान राजपुरोहितान निवासीयान-तिरसिंगडी सोढा, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।		1. धनसिंह पुत्र लालासिंह 2. शंकरसिंह पुत्र सोनसिंह 3. मोतीसिंह पुत्र भगवानसिंह 4. खीमसिंह पुत्र चुन्नीलालजी 5. कानसिंह पुत्र चुन्नीलालजी 6. नरपतसिंह पुत्र चुन्नीलाल 7. जसदेवसिंह पुत्र हुकमसिंह 8. धनसिंह पुत्र जवाहरसिंह 9. जमना पत्नी जवाहरसिंह सभी जातियान राजपुरोहित 10. खीमाशंकर पुत्र मोहनलाल 11. भैरूलाल पुत्र मोहनलाल 12. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल 13. नरेश पुत्र मोहनलाल सभी जातियान श्रीमाली 14. धन्नाराम पुत्र रूपाराम 15. हरीराम पुत्र रूपाराम 16. गणपत पुत्र रूपाराम जातियान नाई 17. किसनाराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी - तिरसिंगडी सोढा तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर (राज.) 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।

आदेश

दिनांक :- 31.5.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा तिरसिंगडी सोढा पटवारी क्षेत्र नेवरी भू-निरीक्षक थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा नं० 642/412 रकबा 5-12 बीघा, खसरा संख्या 851/412 रकबा 5-19 बीघा, खसरा संख्या 645/413 रकबा 3-06 बीघा, खसरा संख्या 858/413 रकबा 0-03 बीघा, खसरा संख्या 655/426 रकबा 16-12 बीघा कुल रकबा 31-12 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 467

1. तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(SDO) बालोतरा
दिनांक :- 14/6/22

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
(SDO) बालोतरा